



उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार
UTTRAKHAND SANSKRIT UNIVERSITY, HARIDWAR
हरिद्वार-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग,
HARIDWAR-DELHI NATIONAL HIGHWAY
पो0-बहादुराबाद (हरिद्वार) 249402
P.O. : BAHADRABAD (HARIDWAR)-249402

☎: 01334-297022

E-mail : registrar@usvv.ac.in Website : www.usvv.ac.in

पत्रांक 1280 / प्रशासन / 2020

दिनांक 17 मार्च, 2020


कार्यालय ज्ञाप

शासन के पत्र संख्या-290/XLII-1/2020-03(07)2020, संस्कृत शिक्षा अनुभाग, देहरादून दिनांक 17 मार्च, 2020 के निर्देश के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव को दृष्टिगत रखते हुये विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्कृत महाविद्यालयों एवं संस्कृत विश्वविद्यालय आदि शिक्षण संस्थाओं के शैक्षणिक, Co-curricular एवं Extra curricular कार्यक्रम (यथा-कक्षाएँ, वर्कशाप, कान्फ्रेंस, सेमीनार, संगोष्ठी इत्यादि) को दिनांक 31 मार्च, 2020 तक स्थगित रहेंगे।

(गिरीश कुमार अवस्थी)
कुलसचिव

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. उपकुलसचिव।
3. प्राचार्य/प्राचार्या विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्कृत महाविद्यालय/संस्थान उत्तराखण्ड।
4. विश्वविद्यालय वेबसाईट।
5. सूचनापट्ट।
6. कार्यालय प्रति।


(गिरीश कुमार अवस्थी)
कुलसचिव

प्रेषक,

विनोद प्रसाद रतूड़ी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय,
हरिद्वार।

संस्कृत शिक्षा अनुभाग

देहरादून: दिनांक 17 मार्च, 2020

विषय:-कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण के दृष्टिगत छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के निमित्त शिक्षण संस्थानों को 31 मार्च, 2020 तक बन्द रखने के सम्बन्ध में।


महोदय,

उरोक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोरोना वायरस (COVID-19) से बचाव के दृष्टिगत प्रदेश में संचालित समस्त संस्कृत महाविद्यालयों एवं संस्कृत विश्वविद्यालय आदि शिक्षण संस्थाओं के शैक्षणिक, Co-curricular एवं Extra curricular कार्यक्रम (यथा-कक्षायें, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, सेमीनार, संगोष्ठी इत्यादि) दिनांक 31 मार्च, 2020 तक स्थगित रहेंगे।

जिन संस्थाओं में परीक्षा चल रही है या पूर्व से नियत हैं, उनमें परीक्षायें यथावत् चलती रहेंगी परन्तु कोरोना वाइरस के दृष्टिगत निम्नलिखित व्यवस्थायें अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाएगी:-

1. परीक्षा कराने से पूर्व कक्षाओं के डोर नॉब, स्विच हैण्ड रेलिंग तथा मेज व कुर्सीयों को एल्कोहल युक्त सेनेटायजर से साफ कराया जाय।
2. बाथरूम को साफ-सुथरा रखा जाय तथ साबुन/एक्लोहल बेसड सेनेटाइजर तथा जल की व्यस्था सुनिश्चित की जाय।
3. कक्षा में टिशु पेपर रखे जायें तथा यूज्ड टिशु पेपर को निस्तारित करने के लिये प्लास्टिक बैग सहित पेडल वाले डस्ट बिन कक्षाओं में रखे जायें।

भवदीय



(विनोद प्रसाद रतूड़ी)
सचिव।

संख्या- 290 (1)/XLII-1/2020-03(07)2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 संस्कृत शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(वीरेन्द्र पाल सिंह)
संयुक्त सचिव।